न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ, जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी	**अरूण कुमार, आर.जे.एस.**
नम्बरी फौजदारी संख्या	**64/2014**
सीआईएस नंबर	**782/2018**
सीएनआर नंबर	RJCH070015962018
अंतर्गत धारा	**506 भारतीय दंड संहिता, 1860**

01. मोहर सिंह पुत्र भोमाराम, निवासी ठिमाऊ बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू।

-परिवादी

बनाम

01. रामस्वरूप पुत्र चंद्राराम, निवासी ठिमाऊ बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू।

-अभियुक्त

--अपराध अंतर्गत धारा 506 भारतीय दंड संहिता, 1860 --

उपस्थितः-

01. विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार, परिवादी की ओर से।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह शेखावत, अभियुक्त की ओर से।

अपराध की तारीख	**19.10.2014**
परिवाद की तारीख	**29.10.2014**
प्रसंज्ञान की दिनांक	**15.11.2018**
चार्ज निर्धारण की तारीख	**28.08.2019**
प्रारम्भ साक्ष्य की तारीख	**25.04.2025**
बयान 313 सीआरपीसी की तारीख	**05.01.2026**
बहस सुनवाई	**08.07.2026**
निर्णय की तारीख	**08.07.2026**

--निर्णय-- **दिनांकः-08.07.2026**

1) संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि मुलजिम रामस्वरूप परिवादी के गांव का राशन डीलर था जो हमेशा परिवादी से रंजिश रखता था। लोकसभा चुनाव 2014 में मुलजिम ने परिवादी व उसके सहयोगियों व साथियों की साख गिराने के लिए गांव के

भोमराज इमताराम व सुमेर सिंह आदि व्यक्तियों के सामने कहा कि ये लोग बदमाश है तथा गांव के लोगों को डरा धमका कर अवैध कार्य करवाते हैं। रामस्वरूप ने परिवादी व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जिला कलेक्टर चूरू एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चूरू के समक्ष शिकायत की कि परिवादी व अन्य व्यक्ति उसे व उसके परिवारवालों को वोट नहीं डालने हेतु दबाव बना रहे हैं। रामस्वरूप द्वारा की गई शिकायत जांच में झूठी पाई गई। इसी रंजिश में रामस्वरूप ने दिनांक 19.10.2014 को परिवादी को धमकी दी कि कि वह उसे व गांव के अन्य मोतबिरान को मौका मिलने पर जान से मारेगा.....इत्यादि।

2) उक्त परिवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा बाद रिपोर्ट अवलोकन परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। इसके पश्चात परिवादी मोहर सिंह की साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य गवाह भोमराज की साक्ष्य अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता में बयान लेखबद्ध किए गए।

3) बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 506 भा.द.सं. के तहत प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण को विचारण पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले के रूप में किया गया व प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

4) बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त रामस्वरूप को अपराध अंतर्गत धारा 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5) परिवादी पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः-

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड-1	मोहर सिंह	परिवादी
पी.ड-2	भोमराज	स्वतंत्र साक्षी

6) परिवादी पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य किसी प्रकार के दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

7) अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 लेखबद्व किये गये तो अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को गलत होना बताकर कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई करना चाहा, परंतु बाद में साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

8) बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान परिवादी अधिवक्ता एवं अधिवक्ता परिवादी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है तथा सभी गवाहान ने घटना की ताईद की है। अतः अभियुक्त को उपयुक्त दण्ड से दण्डित किया जावे।

9) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास भी है तथा किसी भी गवाह द्वारा घटना के संबंध में निश्चायक साक्ष्य नहीं दी है तथा परिवादी व गवाह द्वारा घटना के समय अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रकट नहीं की है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से

अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

10) उभयपक्ष द्वारा अग्रेषित तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

"आया अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.10.2014 को किसी समय परिवादी एवं उसके गांव वालों को जान से मारने की धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

यदि हाँ तो अभियुक्त की उपयुक्त सजा क्या होगी"

11) उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि गवाह पी.डब्लयू-01 मोहर सिंह, जो कि प्रकरण में परिवादी होकर महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय की बात है। उस समय रामस्वरूप राशन डीलर था। गेहूं व कैरोसिन तेल का ब्लैक करता था। रामस्वरूप गांव में मनमर्जी से तेल और गेहूं देता था। उस वजह से चुनाव के समय में रामस्वरूप डीलर ने क्लेक्टर का फोन किया कि कुछ लोग उसे धमकाते हैं और वोट नहीं डालने देते। जिसमे उसकी और भोमराज, देवकरण, देवसुख ढाका और हरिसिंह की शिकायत की थी और कहा कि यह उसे मारने की धमकी देते है। उसके बाद में क्लेक्टर से जॉनल मजिस्ट्रेट जांच के लिए आया और पंचायत में पुछताछ की गई लेकिन शिकायत झूठी पायी गयी और रामस्वरूप ने अपना वोट कास्ट किया। इसलिए हमने यह परिवाद पेश किया। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि शिकायत लेकर वह थाने गया हो तो उसे याद नहीं है। इस सुझाव को गवाह ने स्वीकार किया कि हर उपयुक्त व्यक्तियों का उसने गवाही सूची में नाम दर्ज नही करवाया तथा चुनाव में किसी के दबाव में आकर मत नही लिये जा सकता। गवाह ने कथन किया कि दिनांक 19.10.2014 को उसने परिवाद में धमकी बाबत लिखवाया, ऐसा इस पत्रावली में नहीं है। रामस्वरूप की उसने शिकायत की जिस कारण चुनाव आयोग ने रामस्वरूप ने भी उनकी शिकायत की हो सकता है। भोमराज व सुमेर सिंह को गवाह सूची में शामिल नहीं किया।

12) गवाह पी.डब्ल्यू-02 भोमराज, जो कि पक्षद्रोही रहा है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गाली गलौज जैसी बातें लिखवाई, ऐसी कोई बात नहीं हो रखी तथा कलेक्टर को शिकायत की, उसकी तफ्तीश हुई और फिर वह झूठी पाई गई। डीलर की शिकायत की थी। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके सामने रामस्वरूप ने मोहर सिंह को कोई गाली गलौज नहीं की तथा दोनों ने एक-दूसरे की शिकायत रंजिश को लेकर यह झूठा परिवाद पेश कर दिया।

13) इस प्रकार, पत्रावली पर प्रस्तुत संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किए जाने पर यह प्रकट होता है कि परिवादी का मामला मुख्यतः परिवादी पी.डब्ल्यू.-01 मोहर सिंह के कथनों पर आधारित है, किन्तु उसके कथनों से स्वयं पक्षकारों के मध्य राशन वितरण एवं चुनावी शिकायतों को लेकर पूर्ववर्ती रंजिश एवं परस्पर शिकायतें किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इतना ही नहीं, परिवादी द्वारा कथित घटना के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्तियों भोमराज व सुमेर सिंह को गवाह सूची में सम्मिलित नहीं किया गया तथा धमकी दिए जाने संबंधी उसके

न्यायालय में हुए कथनों को भी पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद से अपेक्षित समर्थन प्राप्त नहीं होता है। वहीं, पी.डब्ल्यू.-02 भोमराज ने परिवादी साक्ष्य का समर्थन नहीं करते हुए स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उसके समक्ष मुल्जिम रामस्वरूप द्वारा परिवादी मोहर सिंह के साथ कोई गाली-गलौज नहीं की गई तथा दोनों पक्षों ने आपसी रंजिश के कारण एक-दूसरे के विरुद्ध शिकायतें की थीं।

14) दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिवादी पक्ष को अपनी कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करनी होती है, यदि परिवादी पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी अपनी कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.10.2014 को किसी समय परिवादी एवं उसके गांव वालों को जान से मारने की धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया हो। अतः अभियुक्त **रामस्वरूप** को अपराध अंतर्गत धारा **506 भारतीय दंड संहिता, 1860** में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

15) अतः अभियुक्त **रामस्वरूप पुत्र चंद्राराम, निवासी ठिमाऊ बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू** को धारा **506 भारतीय दंड संहिता, 1860** में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत (यदि कोई हो) को बाद गुजरने मियाद अपील/अपील होने की सूरत में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(अरूण कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू

16) निर्णय आज दिनांक 08.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू